

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 14 / 2023

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय

बनाम

1. उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा
232 आर.टी.ए. 1956

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: श्री विश्राम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक: 16.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर हाल 73 गत नम्बर 13/2/4 रकबा 0.19 है। सम्वत 2055 से 2058 तक गैर मुमकिन तालाब, नदी, नाले, नाडी, झील, जलाशय, जल प्रवाह, जल स्तर की भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। उपखण्ड अधिकारी दौसा ने दिनांक 25.05.1992 को भूमि खसरा नम्बर 13/2 रकबा 0.19 है। को उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर को दिनांक 25.05.1992 को आवंटन कर दी। उक्त आदेश की पालना में भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 13/2/4 आवंटी उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर के नाम नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 22.01.2002 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाले, झील, तालाब, जलाशय की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसी किसी भूमि पर निजी खातेदारी दर्ज हो गई हो तो आवंटन आदेश एवं नामान्तरकरण कानून की निगाह में अवैध व प्रभावशून्य व कानून के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को ऐसी नदी, नाले, झील, तालाब, जलाशय, जल प्रवाह, जल स्थिर की भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जो पश्चातवर्ती भू-प्रबन्ध एवं भू-अभिलेख संक्रियाएं के तहत निजी खातेदारी अन्यत्र दर्ज हो गई है। ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोढ गैर मु. भूमियों को पुनः पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 25.05.1992 को किया गया आवंटन आदेश व नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 22.01.2002 को निरस्त फरमाने व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर संदर्भ दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन सिवायचक भूमि वापसी दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर हाल 73 गत नम्बर 13/2/4 रकबा 0.19 है। सम्वत 2055 से 2058 तक गैर मुमकिन नला किस्म दर्ज रिकॉर्ड थी। उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 25.05.1992 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 13/2/4 रकबा 0.19 है। अप्रार्थी उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर को आवंटित हुई। उक्त आवंटन आदेश की पालना में भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 13/2/4 आवंटी उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर के नाम



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 14 / 2023

नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 22.01.2002 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त भूमि गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड थी, जो पश्चातवर्ती भू-प्रबन्ध व भू-अभिलेख संक्रियाओं के तहत अन्यत्र दर्ज हो गई है। उक्त भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को पुनः राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा को आवंटित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 13/2/4 रकबा 0.19 है. के आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1992 एवं नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 22.01.2002 को निरस्त करने एवं भूमि को सिवायचक गैर मु. नला वापिस दर्ज करने हेतु तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि रेफरेन्स गलत व बनावटी तथ्यों पर आधारित है, जो कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उक्त भूमि कभी भी नदी नाले की भूमि नहीं रही है और वर्तमान में भी नदी नाले की नहीं है। उक्त भूमि में काफी पुरानी आबादी बसी हुई है एवं रिहायशी के काम चली आ रही है। नदी नाले की भूमि का तथ्य बिल्कुल गलत एवं असत्य है। उक्त प्रकरण में अब्दुल रहमान बनाम सरकार की नजीर कतई चस्पा नहीं होती है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 13/2/4 रकबा 0.19 है. वर्तमान में अप्रार्थी उमराव पुत्र सरवण जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर 13/2/4 की भूमि सम्वत 2055 से 2058 में गैर मुमकिन नला दर्ज रिकॉर्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोढ गैर मु. भूमियों को पुनः पुर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार सिकराय को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावे एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार सिकराय को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा